अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

अध्याय-II

संघ शासित क्षेत्र के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त का व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है।

2.1 वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय राशियों में मुख्य परिवर्तन

वर्ष 2020-21 के लिए संघ शासित क्षेत्र की प्रमुख मूल राजकोषीय राशियों की तुलना 31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए राजकोषीय राशियों से नहीं की जा सकती है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों के सारांश निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.1: वर्ष 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21
स्रोत	आरबीआई के पास अथ नकद शेष राशि एवं अन्य नकद शेष	1,482.28
	राजस्व प्राप्तियाँ	52,495.48
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1.93
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	9,169.61
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	1,464.16
	कुल	**64,613.46**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	52,633.75
	पूँजीगत व्यय	10,470.38
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	61.64
	आरबीआई के पास अंत नकद शेष एवं अन्य नकद शेष	1,447.69
	कुल	**64,613.46**

स्रोत: वित्त लेखे.

राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व प्राप्ति है एवं अधिकांश संसाधनों का उपयोग राजस्व व्यय के प्रतिकिया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि में निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का संघटन **चार्ट 2.1** एवं **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

(प्रतिशत में)

चार्ट 2.1 संसाधनों का संघटन

₹ से आता है

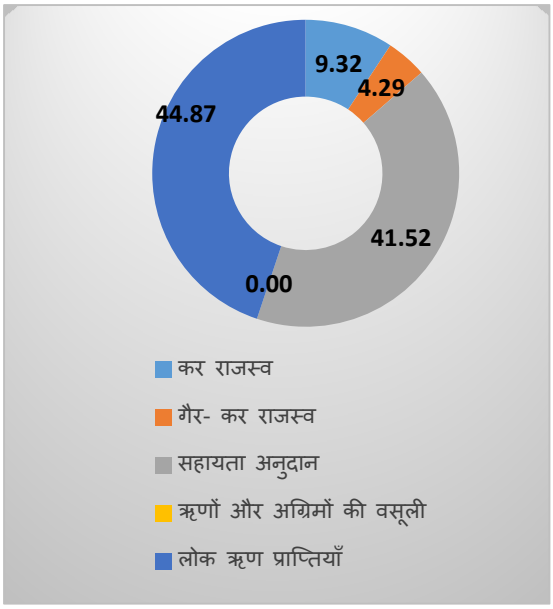

चार्ट 2.2 संसाधनों का अनुप्रयोग

₹ को जाता है

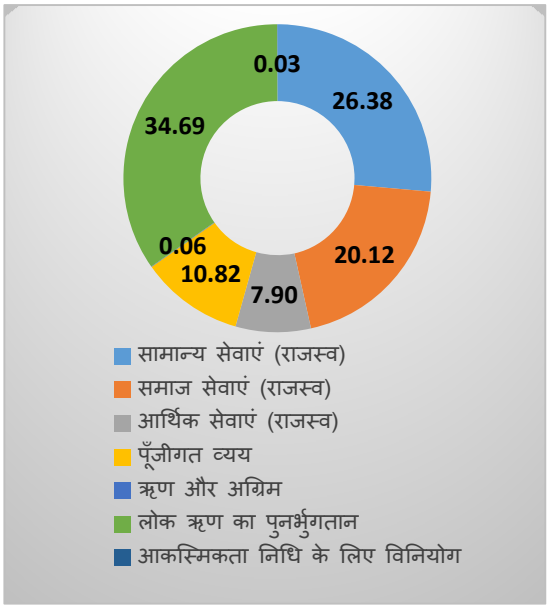

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधनों के 86.39 प्रतिशत तक लोक ऋण प्राप्तियों एवं सहायता अनुदान को लेखाबद्ध किया गया। लोक ऋण का पुनर्भुगतान एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय (राजस्व) कुल व्यय के 61.07 प्रतिशत के लिए दोनों को एक साथ लेखाबद्ध किया गया।

2.3 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के संसाधन

संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों का वर्णन निम्नलिखित है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विनिवेश से आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा जीओआई से ऋण एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। दोनों राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि के भाग का निर्माण करती हैं।
3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** इसमें लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं हैं, जैसे निश्चित संव्यवहारों से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण शामिल हैं। इन्हें तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा

68(1) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा संघ शासित क्षेत्र के विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। यहाँ, सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के उपरांत शेष सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.3.1 संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियाँ

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों की दो शाखाएं हैं जो संघ शासित क्षेत्र सरकार के संसाधनों का निर्माण करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (जीओआई) से सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) से ऋण प्राप्तियाँ तथा लोक लेखा से प्रोद्भूत राशियों के साथ-साथ जीओआई से ऋणों एवं अग्रिमों जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र के संसाधनों के संघटन को दर्शाने वाला **चार्ट 2.3** नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की प्राप्तियों का संघटन

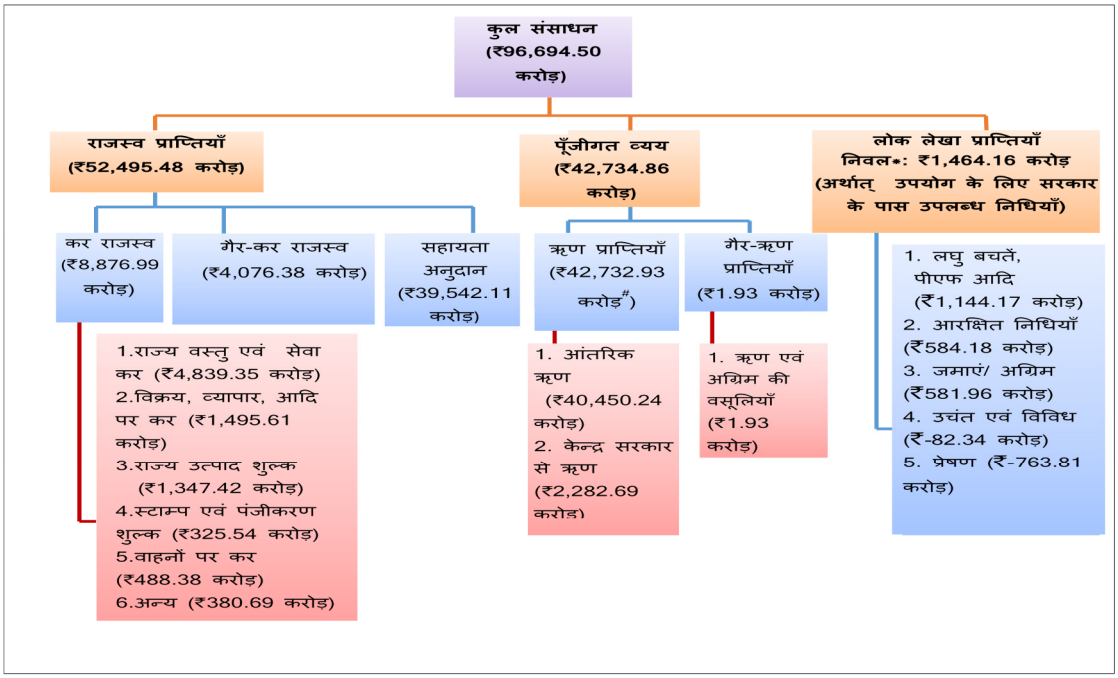

*स्रोत: वित्त लेखे *लोक लेखा प्राप्तियाँ निवल (₹1,464.16 करोड़)=लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹24,833.82 करोड़) कम लोक लेखा संवितरण (₹23,369.66 करोड़) **जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है। #अर्थोपाय अग्रिम सहित।*

2.3.2 संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2020-21 के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र की राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटक **तालिका 2.2** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	प्रतिशतता
राजस्व प्राप्तियाँ (आरआर)	52,495.48	
स्वयं के कर राजस्व	8,876.99	16.91
स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,076.38	7.77
भारत सरकार से सहायता अनुदान	39,542.11	75.32
जीएसडीपी	1,76,282	
जीएसडीपी में राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	29.78	

जीएसडीपी आँकड़ों के स्रोत: वेबसाइट एमओएसपी आईजीओआई

चार्ट 2.4 राजस्व प्राप्तियों के घटक

(प्रतिशत में)

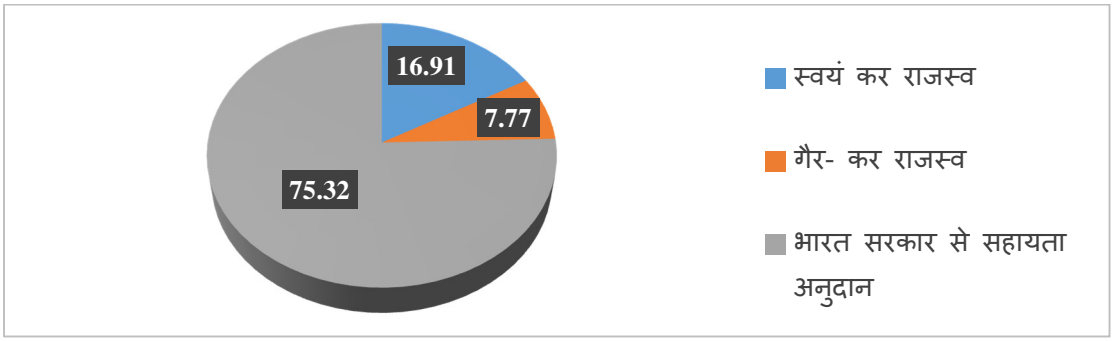

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में से, भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹39,542.11 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.32 प्रतिशत था।

2.3.2.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में सरकार के निष्पादन का आंकलन, अपने संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। स्वयं के कर राजस्व और स्वयं के गैर-कर राजस्व एवं इसके घटकों का विवरण निम्नलिखित उप पैराग्राफों में दिया गया है।

(क) स्वयं के कर राजस्व

संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के कर राजस्वों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), संघ शासित क्षेत्र उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं। स्वयं के कर राजस्व का घटक-वार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2020-21	प्रतिशत
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	1,495.61	16.85
एसजीएसटी	4,839.35	54.51
राज्य उत्पाद शुल्क	1,347.42	15.18
वाहनों पर कर	488.38	5.50
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क	325.54	3.67
भू-राजस्व	60.57	0.68
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	0.90	0.01
अन्य कर	319.22	3.60
कुल	**8,876.99**	**100**

स्रोत:वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के कर राजस्व का बिक्री कर एवं एसजीएसटी एक साथ 71.36 प्रतिशत तथा तथा राज्य उत्पाद शुल्क स्वयं के कर राजस्व का 15.18 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान स्वयं का कर राजस्व बजट 2020-21 (₹13,241 करोड़) में किये गये अनुमान से कम था।

(ख) राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, 5 वर्षों तक की अवधि के लिए, आधार वर्ष से 14 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली कमी के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति की जाएगी। केन्द्र वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) की उगाही करता है तथा राज्य, जहाँ वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है, राज्य के कर के अंश का प्रभाजन करता है। राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम का कार्यान्वयन किया जो 8 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राजस्व में होने वाली कमी के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र को देय क्षतिपूर्ति की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम राजस्व आँकड़ों के प्राप्त होने के बाद की जाएगी, जैसा कि भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की गयी। राजस्व आँकड़ों के आधार वर्ष (2015-16) को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹4,766.30 करोड़ था। एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में किसी वर्ष के लिए संरक्षित राजस्व की गणना उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत

प्रति वर्ष) लागू करते हुए की जाएगी। आधार वर्ष आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए संरक्षित राजस्व ₹9,177.10 करोड़[1] था। संरक्षित राजस्व के प्रति, वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी में सम्मिलित करों के संग्रहण सहित जीएसटी के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹4,861.71 करोड़ थी, जैसा कि **तालिका 2.4** में वर्णित है। जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण ₹4,315.39 करोड़ के वास्तविक हानि के प्रति, जीओआई ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले संघ शासित क्षेत्र को ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋणों को निर्मोचित करने के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में ₹4,271.02 करोड़ की राशि की क्षतिपूर्ति निर्मोचित की है। इसका परिणाम ₹44.37 करोड़ की सीमा तक कम क्षतिपूर्ति के रूप में हुआ जैसाकि नीचे दिया गया है।

तालिका 2.4: संग्रहित प्री-जीएसटी एवं एसजीएसटी, संरक्षित राजस्व के प्रति आईजीएसटी तथा जीओआई से प्राप्त क्षतिपूर्ति का अनंतिम विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संरक्षित किये जाने वाले राजस्व	संग्रहित प्री-जीएसटी#	संग्रहित एसजीएसटी*	आईजीएसटी का प्रभाजन	प्राप्त कुल राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कुल	अधिशेष (+)/ कमी (-)
2020-21	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7=(5+6)	8=(1-7)
कुल	**9,177.10**	**22.36**	**1,528.36**	**3,310.99**	**4,861.71**	**4,271.02^**	**9,132.73**	**(-)44.37**

*# स्रोत: राज्य सरकार * स्रोत:वित्त लेखे ^जीओआई से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋण सहित*

(ग) जीएसटी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के संग्रहण के स्वचालन के साथ स्थापित होना, सभी संव्यवहारों की नमूना जाँचों से व्यापक जाँच में संक्रमण लेखाओं को प्रमाणित करने के सीएजी के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने हेतु लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है। जीएसटीएन परिसर में पैन-इण्डिया डाटा तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के निर्णय से 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने नवम्बर 2020 से जीएसटीएन बैक-एन्ड सिस्टम तक पहुँच उपलब्ध कराने तथा लेखापरीक्षा को जीएसटीएन बैक-एन्ड सिस्टम तक पहुँच हेतु आईडी आधारित पासवर्ड उपलब्ध कराने के अपने निर्णय से अवगत कराया।

[1] वर्ष 2020-21 के लिए 4,766.30x(1+14/100)5=9,177.10

(घ) गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ, इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व के घटकों को **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: संघ शासित क्षेत्र के गैर-कर राजस्व केघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2020-21	प्रतिशत
ब्याज प्राप्तियाँ	17.86	0.44
लाभांश एवं लाभ	0.00	0.00
अन्य गैर-कर प्राप्तियाँ	4,058.52	-
क) विद्युत विकास विभाग	2,349.74	57.64
ख) मध्यम सिंचाई	996.66	24.45
ग) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	227.91	5.59
घ) जलापूर्ति एवं स्वच्छता	93.89	2.30
ङ) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	41.33	1.01
च) पुलिस	39.91	0.98
छ) अन्य विविध	309.08	7.59
कुल	**4,076.38**	**100.00**

स्रोत: वित्त लेखे

बिजली की बिक्री से प्राप्तियाँ, गैर-कर राजस्व का एक प्रमुख घटक होने के कारण 57.64 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2020-21 के दौरान मध्यम सिंचाई से राजस्व कुल गैर-कर राजस्व का 24.45 प्रतिशत था।

2.3.2.2 केन्द्र से हस्तांतरण

वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत भारत सरकार से सहायता अनुदान तथा हस्तांतरण का निर्माण केन्द्र से हस्तांतरणों से होता है।

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2020-21
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान	6,533.49
वित्त आयोग अनुदान	0
विधानमण्डल वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अन्य हस्तांतरण/ अनुदान	33,008.62
कुल	**39,542.11**
राजस्व प्राप्तियों में जीआईए का प्रतिशत	75.32

स्रोत: वित्त लेखे.

भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹39,542.11 करोड़) वर्ष 2020-21 के लिए ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 75.32 प्रतिशत था।

(ख) 15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग पंचाट के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र को करों के किसी अंश का हस्तांतरण नहीं हुआ है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा जीओआई से ऋण और अग्रिम जैसी विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

तालिका 2.7 पूँजीगत प्राप्तियों का संघटन

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र की प्राप्तियों के स्रोत	**2020-21**
पूँजीगत प्राप्तियाँ	**42,734.86**
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	*0*
ऋण और अग्रिमों की वसूली	*1.93*
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**42,732.93**
आंतरिक ऋण	*40,450.24*
जीओआई से ऋण और अग्रिम	*2,282.69**

*स्रोत: वित्त लेखे। *जीओआई ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹2,099.80 करोड़ की राशि के बैक-टू-बैक ऋण सहित।*

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की पूँजीगत प्राप्तियाँ ₹42,734.86 करोड़ थी तथा कुल पूँजीगत प्राप्तियों के प्रमुख भाग ₹40,450.24 करोड़ की राशि आंतरिक ऋण के रूप में थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने ₹2,282.69 करोड़ की राशि भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के रूप में प्राप्त की थी जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक-टू-बैक ऋणों के रूप में ₹2,099.80 करोड़ की राशि सम्मिलित है तथा ₹1.93 करोड़ की राशि ऋणों और अग्रिमों की वसूली के कारण थी।

2.3.4 संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाव में संघ शासित क्षेत्र के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा स्वयं के गैर-कर स्रोत शामिल हैं, के संदर्भ में किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के स्वयं के कर एवं स्वयं की गैर-कर प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 2.8: अनुमानों की तुलना में कर एवं गैर-कर प्राप्तियाँ

	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों पर वास्तविक की प्रतिशतता
स्वयं के कर राजस्व	13,241	8,876.99	67.04
स्वयं के गैर-कर राजस्व	4,065	4,076.38	100.28
कुल	**17,306**	**12,953.37**	**74.85**

स्रोत: बजट दस्तावेज एवं वित्त लेखे

स्वयं की कर प्राप्तियों के अंतर्गत संग्रहण बजट अनुमानों से 32.96 प्रतिशत तक कम रहा। संघ शासित क्षेत्र सरकार बजट अनुमानों में स्वयं के कर राजस्व का अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹12,953 करोड़ के संघ शासित क्षेत्र के स्वयं के संसाधन (स्वयं के कर राजस्व एवं स्वयं के गैर-कर राजस्व) वर्ष 2020-21 के लिए ₹39,302.27 करोड़ की इसकी प्रतिबद्ध देयताओं (वेतन एवं मजदूरियाँ, ब्याज भुगतान तथा पेन्शन) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर व्यय करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करे कि संघ शासित क्षेत्र की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास के प्रति निदेशित व्यय की कीमत पर नहीं है। उप-पैराग्राफ संघशासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में व्यय के आबंटन का विश्लेषण करते हैं।

2.4.1 व्यय का संघटन

तालिका 2.9: कुल व्यय एवं इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	प्रतिशत
राजस्व व्यय (आरई)	52,633.75	83.32
पूँजीगत व्यय (सीई)	10,470.38	16.58
ऋण एवं अग्रिम	61.64	0.10
कुल व्यय (टीई)	**63,165.77**	**100**
टीई/जीएसडीपी	35.83	
आरई/जीएसडीपी	29.86	
सीई/जीएसडीपी	5.94	
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	0.03	

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.5: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश

(प्रतिशत में)

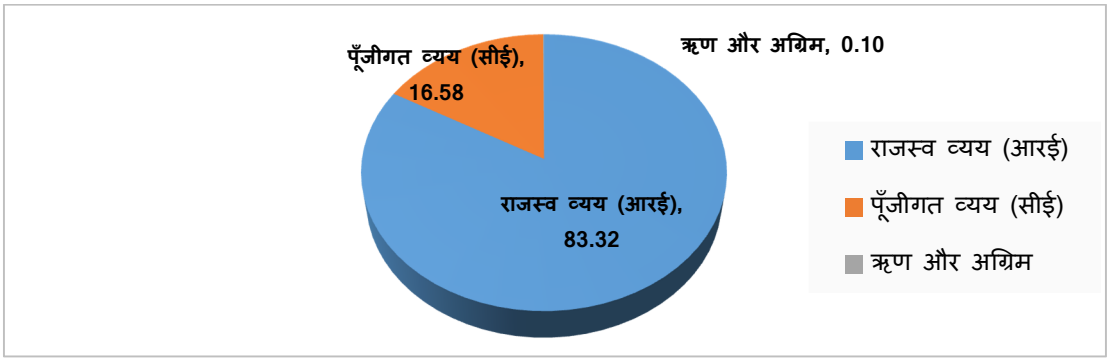

वर्ष 2020-21 के दौरान, पूँजीगत व्यय का अंश 16.58 प्रतिशत था तथा राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.32 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसडीपी से राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः 29.86 एवं 5.94 था।

तालिका 2.10: व्यय के विभिन्न क्षेत्र कों का तुलनात्मक अंश

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2020-21	प्रतिशतता
सामान्य सेवाएं	26,297.40	41.63
सामाजिक सेवाएं	21,964.27	34.77
आर्थिक सेवाएं	14,842.46	23.50
ऋण एवं अग्रिम	61.64	0.10

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.6: कुल व्यय- गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)

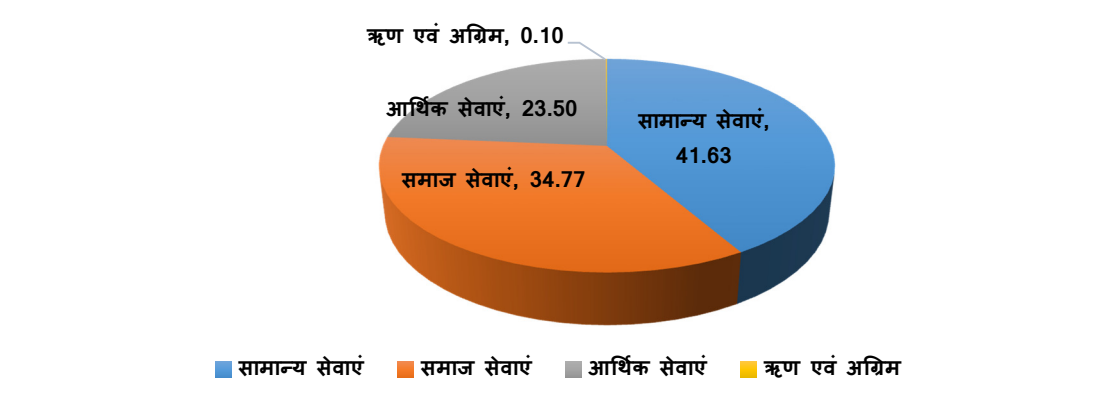

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश, जो विकास व्यय का प्रतिनिधित्व करता था, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय का 58.27 प्रतिशतथा तथा कुल व्यय का 41.63 प्रतिशत सामान्य सेवाओं पर खर्च किया गया था।

चार्ट 2.7: वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यकलाप द्वारा व्यय का संघटन

(प्रतिशत में)

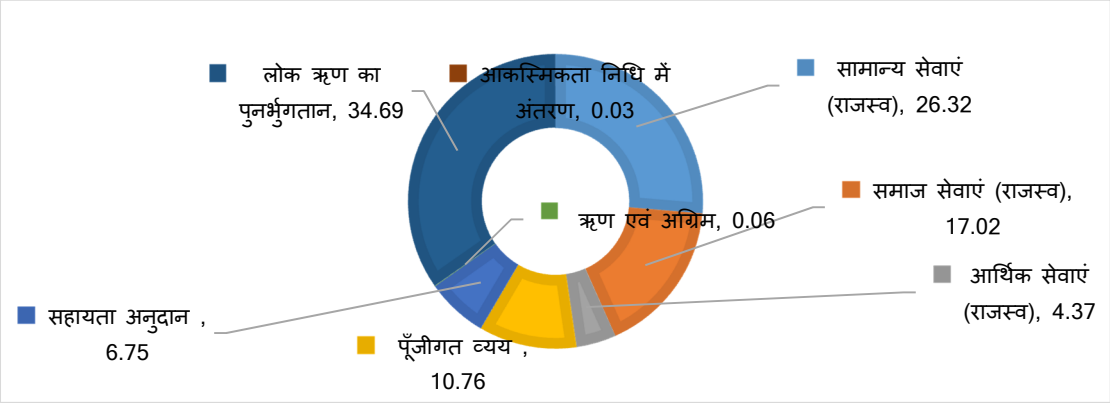

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष के दौरान समेकित निधि से लोक ऋण का पुनर्भुगतान 34.69 प्रतिशत लेखाबद्ध था तथा सामान्य सेवाएं (राजस्व) कुल व्यय का 26.32 प्रतिशत लेखाबद्ध हैं और समाज और आर्थिक सेवाओं (राजस्व) पर व्यय 21.39 प्रतिशत लेखाबद्ध हैं एवं सहायता अनुदान कुल संवितरण का 6.75 प्रतिशत लेखाबद्ध है।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान हेतु किया जाता है। इस प्रकार, इससे संघ शासित क्षेत्र की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। **तालिका 2.11** संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के राजस्व व्यय और मूलभूत मापदण्डों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.11: राजस्व व्यय- मूलभूत मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	**2020-21**
कुल व्यय (आटीई)	63,165.77
राजस्व व्यय (सीई)	52,633.75
टीई के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	83.33
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	29.86
आरआर के प्रतिशत के रूप में आरई	100.26

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.8: वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण

(प्रतिशत में)

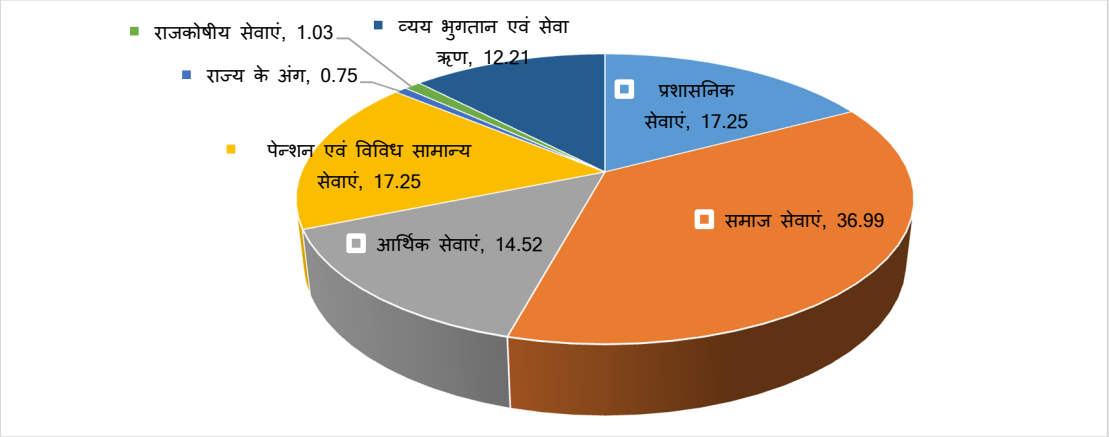

वर्ष 2020-21 के दौरान, आर्थिक सेवाओं तथा समाज सेवाओं पर राजस्व व्यय का संयुक्त अंश 51.51 प्रतिशत एवं सामान्य सेवाओं के राजस्व व्यय का 48.49 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय (17.25 प्रतिशत), ब्याज भुगतान और ऋणों की सेवा (12.21 प्रतिशत), पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं (17.25 प्रतिशत) सामान्य सेवाओं पर व्यय के प्रमुख घटक थे।

2.4.2.1 प्रतिबद्ध व्यय

संघ शासित क्षेत्र सरकार के राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय एवं पेन्शन शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार होता है। अधिक प्रतिबद्ध व्यय से सरकार का विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम होता है।

तालिका 2.12: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2020-21	राजस्व व्यय के संबंध में प्रतिशतता	राजस्व प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता
वेतन एवं मजदूरी	23,851.70	45.31	45.44
ब्याज भुगतान	6,372.46	12.11	12.14
पेन्शन पर व्यय	9,078.11	17.25	17.29
कुल	**39,302.27**	**74.67**	**74.87**
गैर-प्रतिबद्ध व्यय	13,331.48	25.33	
सहायिकी	128.24		
गैर-प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायिकी	0.96		

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय 74.67 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया तथा वेतन एवं मजदूरी राजस्व व्यय का 45.31 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों के 74.87 प्रतिशत के बराबर था। यह दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति का बड़ा भाग प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए समाप्त हो गया था और सरकार के पास अन्य व्यय के लिए अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 25 प्रतिशत ही शेष था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक लंबित विद्युत बिल भुगतान ₹10,568.12 करोड़ था।

2.4.2.2 राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली में गैर-उन्मोचित देयताएं

परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना के अनुसार,1 जनवरी 2010 को अथवा उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी जो योजना के अंतर्गत शामिल हैं, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं, जो सरकार द्वारा समान राशि के साथ सुमेलित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना में कुल अंशदान ₹1,037.66 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹537.25 करोड़ तथा संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹500.41 करोड़) था। संघ शासित क्षेत्र सरकार ने ₹1,037.66 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित की। एनपीएस में संघ शासित क्षेत्र सरकार का अंशदान ₹36.84 करोड़ तक कम था जिसका परिणाम उस सीमा तक राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के कम आंकलन के रूप में हुआ।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 तक निधि के अंतर्गत ₹0.52 करोड़ का डेबिट शेष छोड़ते हुए ₹1,055.47 करोड़ एनएसडीएल/न्यासी बैंक (₹17.29 करोड़ के पूर्व बकाया शेष सहित) में हस्तांतरित किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य निधि के अंतर्गत उपलब्ध शेष के गैर-प्रभाजन के कारण था।

2.4.2.3 सहायिकी

वस्तु शीर्ष"सहायिकी" के अंतर्गत बुक की जा रही राशियाँ नीचे दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.13: वर्ष 2020-21के दौरान सहायिकी पर व्यय

	2020-21
सहायिकी (₹ करोड़ में)	128.24
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायिकी	0.24
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायिकी	0.24

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा सहायिकी पर व्यय राजस्व प्राप्तियों (₹52,495.48 करोड़) और राजस्व व्यय (₹52,633.75 करोड़) का 0.24 प्रतिशत था। उद्यान कृषि विभाग को अधिकतम सहायिकी (₹104.93 करोड़) उपलब्ध करायी गयी थी जो वर्ष के दौरान सहायिकी पर कुल व्यय का 81.82 प्रतिशत थी।

2.4.2.4 संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों के रूप में उपलब्ध करायी गयी सहायता की मात्रा **तालिका 2.14** में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 2.14: स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	**2020-21**
(क) स्थानीय निकाय	
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	502.15
अन्य	399.37
कुल (क)	**901.52**
(ख) अन्य	
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	2,256.56
विकास प्राधिकरण	68.43
जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम	2,759.98
अन्य संस्थान	545.37
कुल (ख)	**5,630.34**
कुल (क+ख)	**6,531.86**
राजस्व व्यय	**52,633.75**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	12.41

स्रोतःवित्त लेखे

जम्मू एवं कश्मीर विद्युत निगम सहायता का प्रमुख हितभागी था जिसने ₹2,759.98 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की, जोकि वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित कुल वित्तीय सहायता का 42.25 प्रतिशत थी।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों इत्यादि के सृजन पर प्राथमिक व्यय है। कैपेक्स की पूर्ति बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त

बजटीय संसाधनों/ऑफ बजट से की जा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 16.58 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि संघ शासित क्षेत्र सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में निवेश करती रहती है, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गयी है, तो निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं है। ऐसे वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने हैं। यह अनुभाग वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.4.3.2 कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने निवेश के रूप में ₹99.25 करोड़ बुक किये। हालांकि, बुक की गयी राशि के प्रति, संबंधित पीएसयू ने ₹83.27 करोड़ का निवेश दर्शाया था, जिसका परिणाम ₹15.98 करोड़ की भिन्नता के रूप में हुआ।

₹83.27 करोड़ का निवेश तीन अधिष्ठानों में किया गया है जिन्हें उनके पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार घाटा हुआ था। ₹83.27 करोड़ में से, ₹81.27 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम में निवेश की गयी है, जिसने वर्ष 2013-14 के लिये अपने पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार ₹92.90 करोड़ के घाटे को सूचित किया था।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास 31 मार्च 2021 तक एक निगम (₹138.78 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹2.35 करोड़), तीन कंपनियों (₹17.91 करोड़) में ₹162.39 करोड़ का निवेश था तथा पंजीयक, सहकारी समितियों, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा (₹3.35 करोड़) का निवेश सूचित किया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के पास 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक 38 कंपनियों (₹4,148.83 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹374.34 करोड़), आठ सहकारी संस्थानों/स्थानीय निकायों (₹47.83 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹45.82 करोड़) एवं दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹4,617.16 करोड़ राशि का संचयी निवेश था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित नहीं किया गया था। **तालिका 2.15** सरकार के उधार की औसत लागत की तुलना में निवेश पर प्रतिफल का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.15: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/ प्रतिफल/ उधारियों की लागत	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹करोड़ में)	162.39 (4,617.16)
प्रतिफल (₹करोड़ में)	शून्य
प्रतिफल (प्रतिशत)	शून्य
सरकारी उधारियों पर ब्याज की भारित औसत दर (प्रतिशत)	6.91
ब्याज दर और प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.91
सरकारी उधारियों की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर (₹करोड़ में)#	11.22 (330.27)

कोष्ठक के आँकड़े तत्कालीन राज्य की स्थिति को दर्शाते हैं जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

#वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर और प्रतिफल के मध्य अंतर
100

स्रोतः वित्त लेखे

सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपने उधार पर औसतन 6.91 प्रतिशत की दर से भुगतान किया, जिसके प्रति सरकार द्वारा निवेश पर शून्य प्रतिफल प्राप्त किया था।

2.4.3.3 वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा

सहकारी सोसाइटियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थानों/ संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध करा रही है। **तालिका 2.16,** 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति, वर्ष 2020-21 के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.16: वर्ष 2020-21 के दौरान संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित और वसूल किये गये ऋणों की प्रमात्रा	2020-21
बकाया ऋणों का अथ शेष	35.80 (1,740.44)
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	61.64
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	1.93
बकाया ऋणों का अंतशेष	95.51 (1,740.44)
निवल जोड़	59.71
ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	शून्य (0.31)
सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	शून्य (0.02)
सरकार की बकाया उधारियों* पर भुगतान की गयी ब्याज की औसत दर	6.72
भुगतान की गयी ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.72

कोष्ठक के आँकड़े तत्कालीन राज्य की स्थिति को दर्शाते हैं जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर एवं संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

*स्रोत: वित्त लेखे। *तत्कालीन राज्य की बकाया उधारी सम्मिलित है जिसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹61.64 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किये और ₹1.93 करोड़ की राशि के ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹32.50 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को

स्वीकृत की जिसके पास पहले से ही 31मार्च 2020 की समाप्ति तक ₹406.73 करोड़ की राशि (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से ₹23 करोड़ प्राप्त हुए) के बकाया ऋण थे। घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली नहीं हो रही है। एफआरबीएम विवरणों में इन ऋणों की संभावित वसूली के बारे में कोई आंकलन नहीं किया गया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पास 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक ₹95.51 करोड़ की राशि के कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम थे। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन सरकार द्वारा लिये गये ₹1,740.44 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिम थे, जो 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक बकाया थे तथा जिन्हें संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना था।

2.4.3.4 अपूर्ण निर्माण कार्यों में अवरुद्ध पूँजी

दो विभागों (अर्थात् सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जम्मू (61 निर्माण कार्य) और जल शक्ति (पीएचई) विभाग, जम्मू (103 निर्माण कार्य) द्वारा आरंभ किये गये 164 पूँजीगत निर्माण कार्यों की मूल अनुमानित लागत ₹633.09 करोड़ थी, जिन्हें वर्ष 2012-13, 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान पूर्ण किये जाने का लक्ष्य था, वर्ष 2020-21 के अंत तक अपूर्ण थे। इन अधूरे कार्यों पर किये गये कुल ₹464.91 करोड़ की राशि का संचयी व्यय अवरुद्ध हो गया।

तालिका 2.17: 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की अवधि रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

समापन का लक्ष्य वर्ष	अपूर्ण निर्माण कार्यों की	अनुमानित	31.03.2021 की समाप्ति
2012-13	01	1.57	3.52
2017-18	02	3.89	3.71
2018-19	05	8.87	8.04
2019-20	95	222.56	182.04
2020-21	61	396.20	267.60
कुल	**164**	**633.09**	**464.91**

स्रोत: वित्त लेखे

2.4.3.5 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना का कार्यान्वयन (यूडीएवाई)

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्य के डिस्कॉम की वित्तीय क्षमता और परिचालन को बेहतर बनाने हेतु उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (यूडीएवाई) की शुरुआत (नंवबर 2015) की। राज्यों को सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण का 75 प्रतिशत ऋण दो वर्षों में लेना था अर्थात् डिस्कॉम ऋण का

2015-16 में 50 प्रतिशत और 2016-17 में 25 प्रतिशत लिया जाना था। मार्च 2016 में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने यूडीएवाई-"उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना" के अंतर्गत एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और आरबीआई से ₹3,537.55 करोड़ (₹2,140 करोड़ 2015-16 में और ₹1,397.55 करोड़ 2016-17 में) की निधियाँ मार्च 2022 से अक्टूबर 2031 तक की परिपक्वता तिथि सहित 7.07 प्रतिशत से 8.72 प्रतिशत के बीच की दरों पर गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बंधपत्र जारी करके उधार ली थी। राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति का कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा था इसलिए यह राशि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की देयताओं का निपटान करने हेतु उपयोग में ली गयी थी। सरकार को बंधपत्रों पर ब्याज देना होता है और ₹353.75 करोड़ की राशि वाले बंधपत्र भी 2021-22 से 2031-32 तक प्रत्येक वर्ष परिपक्व होते रहेंगे। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत जारी बंधपत्रों पर ब्याज के प्रति ₹284.12 करोड़ का भुगतान किया।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय के लिए एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। वर्ष के दौरान उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों की औसत व्यय प्राथमिकता के साथ 2020-21 के दौरान संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर सरकार की व्यय प्राथमिकता की तुलना **तालिका 2.18** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.18: स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत व्यय के संबंध में संघ शासित क्षेत्र सरकार की व्यय प्राथमिकता

(₹ करोड़ में)

	टीई/जीएसडीपी	आरई/टीई	सीई/टीई	एसएसई/टीई	ईएसई/टीई	डीई/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू/टीई
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य औसत (2020-21)	26.92	84.33	15.83	36.74	27.14	63.34	16.95	7.04
संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर	35.83	83.33	16.67	34.77	23.59	58.37	16.28	7.85

टीई: कुल व्यय, आरई: राजस्व व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, डीई: विकास व्यय।

वर्ष 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र, पूँजीगत व्यय पर संघ शासित क्षेत्र व्यय प्राथमिकता और कुल व्यय उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों से अधिक था तथा राजस्व व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास क्षेत्र व्यय और शिक्षा क्षेत्र पर व्यय प्राथमिकता उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के औसत से कम थी।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय, व्यय के लक्ष्य/उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है।

चार्ट 2.9: वस्तु शीर्षवार व्यय

(प्रतिशत में)

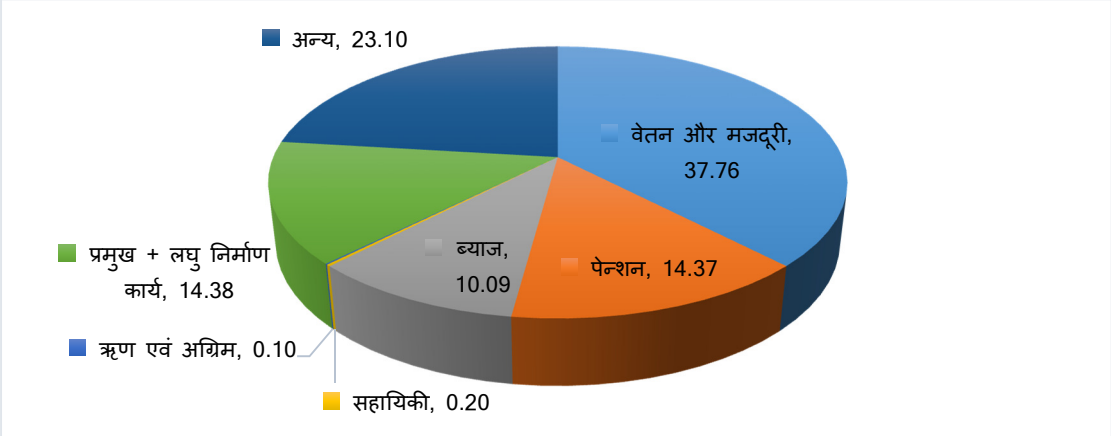

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की वेतन एवं मजदूरी 37.76 प्रतिशत लेखाबद्ध थी और पेन्शन एवं उपदान कुल व्यय का 14.37 प्रतिशत लेखाबद्ध थे। यह इंगित करता है कि कुल व्यय का 52 प्रतिशत से अधिक वेतन एवं मजदूरी और पेन्शन एवं उपदान पर था। कुल व्यय का 14.38 प्रतिशत प्रमुख, लघु निर्माण कार्यों हेतु लेखाबद्ध था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ संव्यवहार के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरणों, जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, को जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के धारा 68(1) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और विधानमण्डल के मत के अध्यधीन नहीं है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर की तरह कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् शेष विविध प्रयोजनों के लिए उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध निधि होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं में जमा राशियों के संबंध में, संघ शासित क्षेत्र सरकार एक न्यासी या एक बैंकर के रूप में कार्य करती है और एक

न्यासीय देयता को वहन करती है। राज्य भविष्य निधि, बीमा/पेन्शन निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमाएं और अग्रिम लोक लेखाओं के प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा, सरकारी लेखाओं के लोक लेखा अनुभाग का उपयोग भी निक्षेपागार अभिलेख हेतु किया जाता है और उनके अंतिम लेखांकन से पूर्व उपयुक्त प्राप्ति या लेखा के भुगतान शीर्ष, और नकद शेष के संव्यवहारों को भी उचंत और विविध तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत संव्यवहारों के माध्यम से पारित कर दिया जाता है। **तालिका 2.19** में राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष को नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2020-21
झ. लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	-2,185.97 (-27,161.62)
ञ. आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	-780.89 (-1,260.62)
	(ख) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	9.76 (-1,533.95)
ट. जमाएं एवं अग्रिम	(क) ब्याज वहन करने वाली जमाएं	-474.74 (-53.67)
	(ख)ब्याज वहन करने वाली जमाएं	-880.79 (-6,860.56)
	(ग) अग्रिम	0.00 (12.69)
ठ. उचंत और विविध	(क) उचंत	-121.14 (344.15)
	(ख) अन्य लेखा	-0.0002 (389.01)
ड.प्रेषण	(क) धनादेशऔर अन्य प्रेषण	-632.57 (-2,856.74)
	(ख) अंतरसरकारी समायोजन खाता	-1.93 (9.26)
कुल		**-5,068.27** **(-38,973)**

स्रोत: वित्त लेखे, नोटः +डेबिट शेष और-जमा शेषों को दर्शाता है।

31 मार्च 2021 की समाप्ति तक जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोक लेखाओं के अंतर्गत कुल जमा शेष ₹5,068.27 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 तक की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत भी कुल

जमा शेष ₹38,973 करोड़ था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक विभाजित किया जाना है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा में निवल शेष

(₹ करोड़ में)

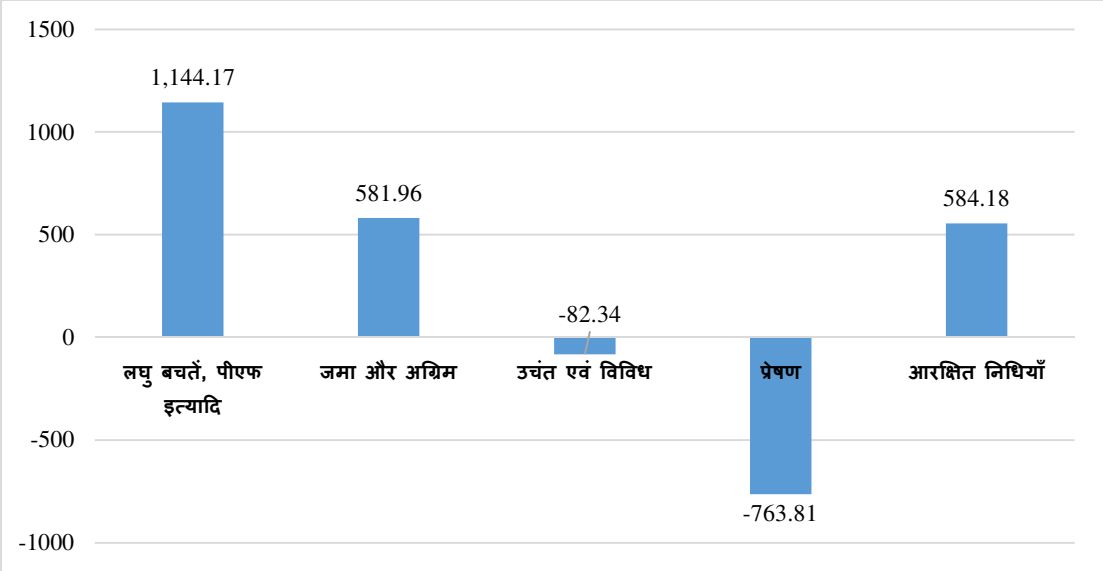

वर्ष 2020-21 के दौरान, लोक लेखा के घटकों के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधियों आदि एवं प्रेषण में प्रमुख परिवर्तन हुए।

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

आरक्षित निधियाँ सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती हैं। ये निधियाँ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि के अंशदानों या अनुदानों से प्राप्त की जाती हैं। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं में आरक्षित निधियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है। 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर इन निधियों में संचयी कुल शेष ₹771.13 करोड़ था। जिसमें से ₹780.89 करोड़ (क्रेडिट) ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत तथा ₹9.76 करोड़ (डेबिट) ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत थे। ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधि के अंतर्गत 31 मार्च 2021 तक ₹9.76 करोड़ का डेबिट शेष, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक आरक्षित निधियों में कुल संचित निवल शेष (ब्याज वहन नहीं करने वाली) के कारण है, जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाना है। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक इन निधियों में संचयी कुल शेष राशि ₹2,806 करोड़ था जिसे दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य अभी तक द्विभाजित किया जाना है।

तालिका 2.20: आरक्षित निधियों के अंतर्गत अंतशेष

(₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	2020-21
ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	
राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	16.32
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष	764.57
कुल-ब्याज वहन करने वाली आरक्षित निधियाँ	**780.89**
ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	
ऋण शोधन निधि	55.63
अन्य विकास और कल्याणकारी निधियाँ	-90.38
सामान्य बीमा निधि (जनता बीमा)	20.12
प्रत्याभूति मोचन निधि	2.00
अन्य निधियाँ	2.87
कुल-ब्याज वहन नहीं करने वाली आरक्षित निधियाँ	**(-)9.76**
कुल- आरक्षित निधियाँ	**771.13**

स्रोतः वित्त लेखे

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

वर्ष 2012 में ऋणों के परिशोधन के लिये तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने एक समेकित ऋण शोधन निधि का गठन (जनवरी 2012) किया। इसे आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा जारी रखा गया है। कोष के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार पूर्व वर्ष के अंत में बकाया देयताओं {लोक ऋण+लोक लेखा (उचंत और प्रेषण को छोड़कर)} का 0.50 प्रतिशत अंशदान कर सकती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा इस निधि में ₹27.50 करोड़ के अपेक्षित अंशदान के प्रति, ₹55.63 करोड़ अर्थात् वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,500.35 करोड़ की कुल बकाया देयताओं के 0.50 प्रतिशतका अंशदान किया गया। इस कोष में आरंभ से 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा ₹355.87 करोड़ के अंशदान को अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन एवं प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत जोकि ब्याज वहन

करने वाला अनुभाग के अधीन है), केन्द्र तथा राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में कोष में अंशदान करना आवश्यक है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दो नये संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर ने कोष में अंशदान जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'संघ शासित क्षेत्र आपदा प्रतिक्रिया कोष में अंशदान के प्रति अनुदानों' के लिए ₹279.00 करोड़ की राशि निर्मोचित की थी। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-एसडीआरएफ के अंतर्गत कोष में ₹357.57 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279.00 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज हैं ₹43.89 करोड़ और पिछला अव्ययित शेष ₹3.68 करोड़ क्रेडिट किया गया) हस्तांतरित किये। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित कोष में अंशदान, व्यय और उसमें शेष निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.21: राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत प्राप्तियाँ और व्यय

(₹ करोड़ में)

अथ शेष (1 अप्रैल 2020)	**केन्द्र द्वारा अंशदान**	**संघ शासित क्षेत्र अंश**	**एनडीआरएफ के अंतर्गत प्राप्तियाँ**	**वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ**	**सेट ऑफ राशि (एमएच 2245-05)**	**कोष में शेष**
(-)176.90	279.00	31.00	शून्य	357.57*	164.35	16.32

**₹43.89 करोड़ ब्याज तथा ₹3.68 करोड़ अव्ययित शेष शामिल है।*

1 अप्रैल 2020 को कोष के अंतर्गत ₹176.90 करोड़ ऋणात्मक शेष था तथा वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने कोष में ₹357.57 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹279 करोड़, संघ शासित क्षेत्र अंश ₹31.00 करोड़, ब्याज ₹43.89 करोड़ और ₹3.68 करोड़ का पिछला अव्ययित शेष) हस्तांतरित किये तथा कोष में क्रेडिट किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक ₹16.32 करोड़ का शेष छोड़ते हुए, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹164.35 करोड़ का व्यय प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया था। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोष के अंतर्गत शेष राशि का निवेश नहीं किया गया है।

30 अक्टूबर 2019 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अंतर्गत ₹1,271.48 करोड़ का सकल शेष था जिसे दो नये आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। ₹1,260.62 करोड़ के निवल अप्रभाजित शेष को छोड़ते हुए कोष से ₹10.86 करोड़ की राशि का निवेश किया गया।

2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) पर आरबीआई दिशानिर्देशों में उल्लेख है कि वर्ष की शुरूआत में निधि के गठन वाले वर्ष में राज्य सरकार के लिए बकाया प्रत्याभूतियोंके कम से कम एक प्रतिशत का अंशदान और तत्पश्चात् पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूतियों के कम से कम तीन से पाँच प्रतिशत की न्यूनतम कॉर्पस राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष 0.50 प्रतिशत का अंशदान करना वांछनीय है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक प्रत्याभूति मोचन अधिनियम नही बनाया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य की प्रत्याभूति मोचन निधि में निधि हेतु अंशदान के लिए कोई लक्ष्य नहीं था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने निधि में एक करोड़ रुपये का अंशदान किया। 31 मार्च 2021 तक निधि का अंत शेष दो करोड़ रुपये था। 30 अक्टूबर 2019 तक निधि में ₹20.42 करोड़ का शेष था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है। ₹22.42 करोड़ की समस्त राशि (दो करोड़ संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2021 तक तथा 30 अक्टूबर 2019 तक अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित ₹20.42 करोड़) का सरकार द्वारा निवेश नहीं किया गया है। पिछले वर्ष की बकाया प्रत्याभूति के तीन प्रतिशत (₹1,324.54 करोड़ + ₹452.07 करोड़) की राशि ₹53.30 करोड़ है जबकि निधि में किया गया कुल योगदान ₹22.42 करोड़ है, संघ शासित क्षेत्र सरकार को बकाया प्रत्याभूति केतीन प्रतिशत के न्यूनतम कॉर्पस को प्राप्त करने के लिए निधि में अपना अंशदान बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.5.2.4 केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ)

भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिये संघ शासित क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सड़क कोष (सीआरएफ) के अंतर्गत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने सीआरएफ के प्रति ₹79.40 करोड़ के अनुदान प्राप्त किये तथा समस्त राशि को व्यय शीर्ष-3054 के माध्यम से जमा शीर्ष-8449 में हस्तांतरित कर दिया। 31 मार्च 2021 तक कोष में ₹77.34 करोड़ का अंत शेष छोड़ते हुए, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने वर्ष के दौरान कोष से ₹27.36 करोड़ का व्यय किया, जिसमें 31 मार्च 2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) की समाप्ति तक ₹25.30 करोड़ का पिछला अव्ययित शेष सम्मिलित है।

30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन से पूर्व) तक निधि के अंतर्गत ₹573.33 करोड़ का शेष भी था, जिसे संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य अभी तक प्रभाजित किया जाना है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन वित्तपोषण की आवश्यक राशि के सृजन के क्रम में सरकार के ऋण प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो सरकार ने अधिनियम या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किये हैं, को स्थापित और क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है।

2.6.1 ऋण की रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों इत्यादि से ऋण), केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, और लोक लेखा देयताओं से मिलकर बना होता है। बकाया ऋण के घटकों को नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.22: घटक-वार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

		2020-21
बकाया समग्र ऋण		16,980.28
लोक ऋण	***आंतरिक ऋण***	10,562.21
	जीओआई से ऋण	2,105.44*
लोक लेखा पर देयताएं		4,312.63
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)		1,76,282
ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत)		**8.44****
कुल ऋण प्राप्तियाँ		52,919.18
कुल ऋण पुनर्भुगतान		41,439.26
कुल उपलब्ध ऋण		11,479.92
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ *(प्रतिशत)*		**78.31**

स्रोत: वित्त लेखे,

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

*** बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत जीओआई से पुनर्भुगतान देयता के बिना बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹2,099.80 करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं करने के बाद 8.44 का अनुपात निकाला गया है।*

नोट: लोक लेखाओं पर देयताएं उचंत और विविध और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत देयताएं छोड़कर हैं।

पुनर्भुगतान देयता के साथ समग्र बकाया ऋण ₹14,880.48 करोड़ है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि संघ शासित क्षेत्र को ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैक-टू-बैक ऋण के रूप में दिये गए ₹2,099.80 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वर्ष 2020-21 के

दौरान, कुल ऋण पुनर्भुगतान कुल ऋण प्राप्तियों का 78.31 प्रतिशत था परिणामस्वरूप कुल ऋण प्राप्तियों का मात्र 21.69 प्रतिशत सरकार के पास उपलब्ध था। वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान को समायोजित करने के बाद उपलब्ध कुल ऋण ₹11,479.92 करोड़ था।

चार्ट 2.11: वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के समग्र बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

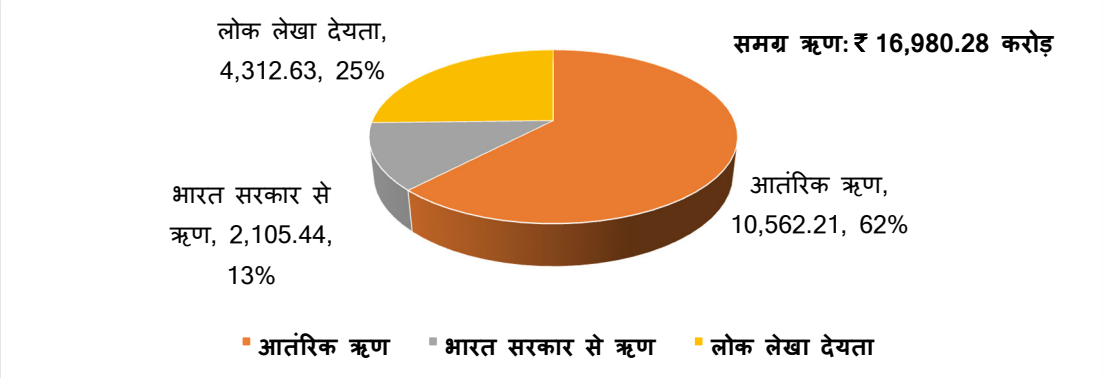

चार्ट 2.12: पुनर्भुगतान की तुलना में लिये गये आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)

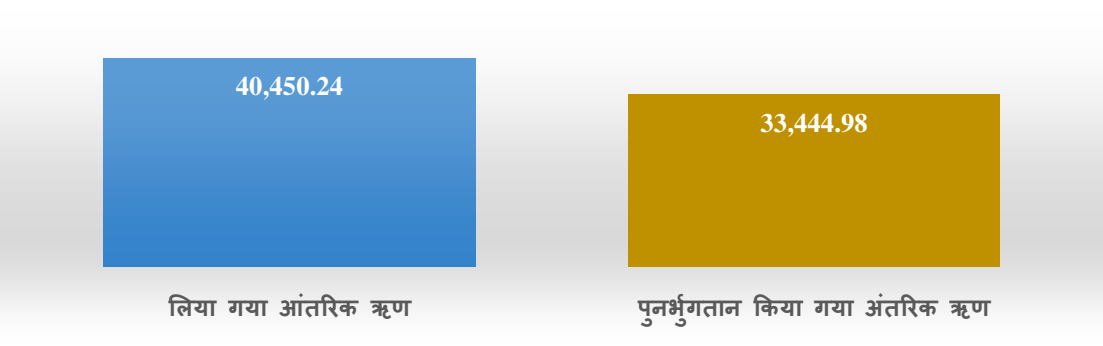

वर्ष 2020-21 के दौरान, लिये गये आंतरिक ऋण को पुनर्भुगतान किये गये आंतरिक ऋण का प्रतिशत 82.68 प्रतिशत था।

तालिका 2.23: राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण प्रतिमान

(₹ करोड़ में)

विवरण		**2020-21**
राजकोषीय घाटे की संरचना		10,693.36
1	राजस्व घाटा	-138.27
2	निवल पूँजीगत व्यय	-10,470.38
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	-59.71
4	आकस्मिकता निधि के लिए विनियोग	-25.00

विवरण		2020-21
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान		
1	बाजार से उधारियाँ	7,508.66
2	जीओआई से ऋण*	2,164.35
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	-348.65
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	-154.75
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	1,144.17
6	जमाएं और अग्रिम	581.96
7	उचंत और विविध	-82.34
8	प्रेषण	-763.81
9	आरक्षित निधि	584.18
10	आकस्मिकता निधि	25.00
11	**कुल घाटा**	**10,658.77**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	34.59
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**10,693.36**

स्रोतः वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजकोषीय घाटा ₹10,693.36 करोड़ है। बाजार उधारियों, लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि, वित्त राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत थे।

तालिका 2.24: राजकोषीय घाटा वित्तपोषण (2020-21) घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार से उधारियाँ	40,128.28	32,619.62	7,508.66
2	जीओआई से ऋण*	2,282.69	118.34	2,164.35
3	एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	348.65	-348.65
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	321.96	476.71	-154.75
5	लघु बचतें, पीएफ इत्यादि	5,968.29	4,824.12	1,144.17
6	जमाएं और अग्रिम	3,427.29	2,845.33	581.96
7	उचंत और विविध	12,655.15	12,737.49	-82.34
8	प्रेषण	1,992.42	2,756.23	-763.81
9	आरक्षित निधि	790.67	206.49	584.18
10	आकस्मिकता निधि	25.00	0.00	25.00
11	**समग्र घाटा**	**67,591.75**	**56,932.98**	**10,658.77**
12	नकद शेष में वृद्धि/ कमी	1,482.28	1,447.69	34.59
13	**सकल राजकोषीय घाटा**	**69,074.03**	**58,380.67**	**10,693.36**

स्रोतः वित्त लेखे

** जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल है।*

2.7. ऋण विश्लेषण

बकाया लोक ऋण की स्थिति और अन्य राजकोषीय समग्रों के साथ इसकी तुलना नीचे दर्शाया गयी है:

तालिका 2.25: बकाया लोक ऋण की स्थिति

ऋण स्थिरता संकेतक	2020-21
बकाया लोक ऋण* *(₹ करोड़ में)*	10,567.84 (46,666.22)
जीएसडीपी *(₹ करोड़ में)*	1,76,282
जीएसडीपी की वृद्धि दर	3.46
लोक ऋण#/जीएसडीपी	5.99 (32.47)@
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत) (ब्याज भुगतान/ लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/ 2)	7.82
राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	8.16
ऋण प्राप्ति में ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	78.54
यूटीके पास उपलब्ध निवल ऋण# *(₹ करोड़ में)*	4,887.23
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	11.44

स्रोत: वित्त लेखे

**6003-आंतरिक ऋण और 6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का योग बकाया लोक ऋण है। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि में कमी के बदले व्यय विभाग, जीओआई से प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण के रूप में ₹2,099.80 करोड़ शामिल हैं।* बैक-टू-बैक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए संघ शासित क्षेत्र के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा, जो कि वित्त आयोग, आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

 # संघ शासित क्षेत्र के पास उपलब्ध निवल ऋण की लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण के ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में गणना की गई है।

@ जीएसडीपी के लिए लोक ऋण (तत्कालीन राज्य का बकाया लोक ऋण शामिल है)।

ऋण स्थिरता के कुछ संकेतक निम्नानुसार हैं:

क) वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध निवल लोक ऋण ₹4,887.23 करोड़ था जो वर्ष के दौरान ऋण प्राप्ति का केवल 11.44 प्रतिशत था।

ख) लोक ऋण पुनर्भुगतान/लोक ऋण प्राप्तियाँ: वर्ष 2020-21 के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान ऋण प्राप्ति का 78.54 प्रतिशत था परिणामस्वरूप सरकार के पास लोक ऋण प्राप्ति का केवल 21.46 प्रतिशत उपलब्ध था।

ग) वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों को लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 8.16 प्रतिशत थी।

2.7.1 उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता

उधार ली गई निधियाँ का आदर्शत: पूँजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत और बकाया ऋणों पर

ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग करना संधारणीय नहीं है।

तालिका 2.26: वर्ष 2020-21 के दौरान उधार ली गयी निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	**1**	**2020-21**
कुल उधार	**2**	42,732.93*
पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान(मूलधन) (प्रतिशत)	**3**	33,563.32
पूँजीगत व्यय के लिए शेष उधारियाँ (प्रतिशत)	**4**	9,169.61 (21.46)
ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण हेतु उधारी का शेष	**5**	अनुपलब्ध
निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया राजस्व व्यय का भाग	**6=2-3-4-5**	अनुपलब्ध

*स्रोत: वित्त लेखे * जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में जीओआई से बैंक-टू-बैंक ऋणों के रूप में ₹2,099.80 करोड़ सम्मिलित है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान, 78.54 प्रतिशत की उधार ली गई निधियों का उपयोग पूर्व में लिये गये ऋणों/उधार निधियों के पुनर्भुगतान के प्रति किया गया, परिणाम स्वरूप विकास निर्माण कार्यों के लिए मात्र 21.46 प्रतिशत उधार ली गयी निधियों की उपलब्धता रही।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं

31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा दी गई कुल बकाया प्रत्याभूतियाँ समग्र रूप से ₹1,486.07 करोड़ थी। 30 अक्टूबर 2019 तक ₹452.07 करोड़ की बकाया प्रत्याभूतियाँ भी थी, जिन्हें अभी तक प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा कोई प्रत्याभूति कमीशन/ शुल्क प्राप्त नहीं किया गया था।

2.7.3 नकद शेषों का प्रबंधन

भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार के अनुसार, संघ शासित क्षेत्र सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष राशि बनाये रखना पड़ता है। यदि शेष किसी भी दिन निर्धारित न्यूनतम शेष से कम रहता है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एसडब्ल्यूएमए/ओवेरड्राफ्ट (ओडी) लेकर कमी को ठीक किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा समय-समय पर आरबीआई द्वारा परिशोधित की जाती है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और ओवेरड्राफ्ट का सहारा लिए बिना 47 दिनों तक ₹1.14 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाये रखा और 260 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया तथा

58 दिनों तक इसे आरबीआई से ओवरड्राफ्ट का भी लाभ उठाना पड़ा। 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक शेष ₹1,784.54 करोड़ (सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत ₹715.89 करोड़ एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत ₹1,068.65 करोड़) था।

30 अक्टूबर 2019 तक समान्य अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत ₹692.11 करोड़ का शेष भी था जिसे अभी तक आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है।

संघ शासित क्षेत्र सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को लघु तथा दीर्घकालिक जीओआई प्रत्याभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा करना होता है। नकद शेष और उनके निवेश की स्थिति निम्नानुसार हैः

तालिका 2.27: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को अथशेष	**31 मार्च 2021 को अंतशेष**
क. सामान्य नकद शेष		
कोषागारों में नकद	0	0
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमाएं	1,482.28	1,447.69
जेएण्डके और अन्य बैंकों के साथ जमाएं	0	0
पारगमन-स्थानीय में प्रेषण	0	0
कुल	**1,482.28**	**1,447.69**
नकद शेष निवेश लेखा में रोके गये निवेश	0	0
कुल (क)	**1,482.28**	**1,447.69**
ख. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	0	0
विभाग अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम	0	0
चिह्नित निधियों में निवेश	0	0
कुल (ख)	**0**	**0**
कुल (क+ख)	**1,482.28**	**1,447.69**
वसूल किया गया ब्याज	**शून्य**	**0.11**

स्रोत:वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा नकद शेष लेखा में कोई राशि नहीं रोकी गयी थी। हालांकि, 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर नकद शेष निवेश लेखा में ₹383.92 करोड़ की राशि रोकी गयी थी, जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य प्रभाजित किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने नकद शेष निवेश पर ₹0.11 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

चार्ट 2.13: वर्ष के दौरान माहवार नकद शेषों की गतिशीलता और निवल नकद शेष निवेश

(₹ करोड़ में)

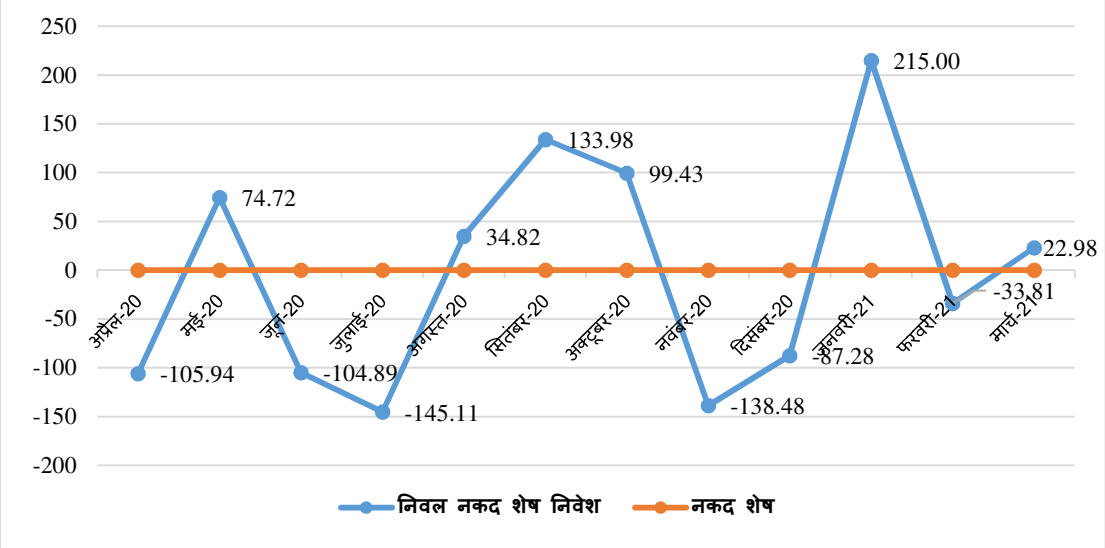

स्रोत: वित्त लेखे

2.8 निष्कर्ष

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 83.32 प्रतिशत था।
- ₹10,470.38 करोड़ का पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 16.58 प्रतिशत था।
- 31 मार्च 2021 की समाप्ति पर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का का बकाया लोक ऋण ₹10,567.84 करोड़ था तथा 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति पर ₹46,666 करोड़ की राशि भी है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।
- संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों, सहकारी संस्थानों/स्थानीय निकायों और ग्रामीण बैंकों में ₹162.39 करोड़ का कुल निवेश था तथा वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश के रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था। उपर्युक्त के अतिरिक्त तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा ₹4,617.16 करोड़ का

किया गया निवेश भी है जिसे अभी तक दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

- 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के पास ₹95.51 करोड़ के संवितरित बकाया ऋण थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, तत्कालीन राज्य पर 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक संवितरित ₹1,740.44 करोड़ की राशि के बकाया ऋण थे जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य विभाजित किया जाना है।
- वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आरक्षित निधियों के अंतर्गत ₹771.13 करोड़ का शेष था। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक ₹2,806 करोड़ की राशि आरक्षित निधियों के अंतर्गत भी शेष थी जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

2.9 अनुशंसाएं

1. सरकार को अपने स्वयं के कर राजस्व के संवर्धन हेतु प्रयास करना चाहिए।
2. सरकार को अपने प्रतिबद्ध व्यय को न्यूनतम करने के लिए उपाय खोजने चाहिए जिससे विकास व्यय हेतु अधिक निधियाँ उपलब्ध करायी जा सकें।
3. सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी पर इसके द्वारा लिये गये उधार की पर्याप्त उच्च लागत को देखते हुए उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के उपाय खोजने चाहिए।
4. चूँकि सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली खराब रही है, सरकार को ऋण एवं अग्रिमों को अनुदानों के रूप में मानने तथा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे सही स्थिति प्रतिबिम्बित करते हैं।